

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

..... अधिकारी के द्वारा मुकाम केनेडा
 पुमान बनाम जालीया पुमान
 183 RT del नं. 115/15 सन् 2015

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>..... द्वारा पत्र अन्तर्गत धारा 183 RT del पेश किया गया । पत्र बाद जाँच एवं रजिस्टर किया जाकर की तलबी हेतु प्रत्रावली दिनांक 5-4-16 को पेश हो ।</p> <p>पतावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। उक्त विपक्षीयों के सम्बन्ध/तलवाण बाद तामील बाप क्षेत्र शां मि. ही उक्त विपक्षीयों को प्रपु लुपना पेशी वागत दाखिल वही। पतावली वागत वकील के लवाण में दिनांक 13-5-16 को पेश हो</p> <p>पतावली क्षेत्र की शां उक्त में पेश हुई प्रपु का मेरी के अधार पर उक्तमे उक्त निपा गमा। वादी द्वारा वाद गत 0-01 बीजा दुकि पर प्रतिवादी का प्रपु उक्तमे उक्त दुकि पुका वादी के निपु</p>	<p>.....</p>

जिसे जाने जागत दावा पेश किया गया।
 परन्तु दौरे के तमाम के पत्न्यागी
 पक्षपाल जागमे जाने वाला पक्षी गैर
 उषवा अन्य क्षेत्र पेश दस्तावेज पेश
 गरी दौरे के स्वधरित संज्ञान गेते हुए
 जमाखालय का स्पष्ट अतिगत है, कि दावा
 विना किसी आधार पर प्रस्तुत हुआ है
 जो चालने योग्य नहीं है अलावा वही
 एकाय प्रस्तुत वाद फल विरुद्ध प्रमाणित
 शास्त्र/दस्तावेज के अभाव में श्लादीप
 किया जाता है।

कार्यवाही

पत्न्यागी यदि शिकायत के उक्त की
 फलतः फल श्लादीप है।

विधिप आज दिनांक 06/06/16 को
 उक्त हुए मामिलामें जज के शेर इजाजत
 सुनाया गया

